

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 18 दिसंबर 2025, समय 1810 (10 मिनट)

मुख्य समाचार :-

- लोकसभा ने विकसित भारत ग्रामीण विकास विधेयक जी -राम -जी पारित किया - केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा -कि नया कानून सभी राज्यों को न्याय देगा।
- हरियाणा के लोगों ने जी -राम-जी- विधेयक पारित किये जाने का स्वागत किया -125 दिन की मजदूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना का लाभ तय समय सीमा में न देने पर सहायक पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया।
- हरियाणा विधान सभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ -शोक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
- हरियाणा विधान सभा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें बलिदान दिवस पर , कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और अन्य संगठनों का प्रस्ताव पारित कर आभार जताया गया।

लोकसभा ने विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारन्टी मिशन-ग्रामीण : विकसित भारत ग्रामीण विकास विधेयक-जी-राम-जी-2025 पारित कर दिया है।

यह विधेयक, बीस साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-मनरेगा-2005 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। इस विधेयक के तहत, प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक सौ

पच्चीस दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इसमें परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं उसे मजदूरी दी जाएगी।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात पूर्वतर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60 और 40 होगा, जबकि पूर्वतर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10 होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा योजना को उचित और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत यूपीए सरकार ने केवल 2 लाख 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि मोदी सरकार ने 8 लाख 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि नया कानून सभी राज्यों को न्याय दिलाएगा।

हरियाणा के गांवों में आज के स्थान पर विकसित भारत ग्रामीण विकास विधेयक-जी-राम-जी-2025 पारित किए जाने का लोगों ने स्वागत किया। जींद जिले के लोगों ने कहा कि यह भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय कदम है।

जींद में ही सुरेन्द्र सिंह ने कहा नए विधेयक में जॉब कार्ड और सोशल ऑडिट के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। यह विधेयक ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला एक क्रांतिकारी कदम है।

भिवानी में लोगों ने कहा कि इससे मजदूर व किसानों को सीधा फायदा होगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नूंह जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना का लाभ आयोग द्वारा तय समय सीमा के अंदर न देने के लिए सहायक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को 5,000रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कुल 20,000 रुपये की राशि सहायक के वेतन से वसूल की जाएगी। जुर्माने की राशि राज्य कोष में जमा होगी।

आयोग ने पाया कि योजना का लाभ लाभार्थी को छह माह से अधिक की देरी से प्रदान किया गया, जो सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत समय सीमा का उल्लंघन है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि सरल पोर्टल पर जमा आवेदन का यूनिक कोड समय पर जनरेट न होने के कारण लाभ का भुगतान देरी से किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी नूंह द्वारा बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय से यूनिक कोड समय पर जारी नहीं किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने सहायक की भूमिका को मुख्य रूप से देरी के लिए जिम्मेदार पाया। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि सुनवाई के दिन उनके आचरण से आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही परिलक्षित हुई।

समाचार विधान सभा से

हरियाणा विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया और पिछले सत्र स्वीकार अब तक देहावसान कर गई शछिशयतों को श्रद्धांजलि दी गई।

विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री, भूपेंद्र हुड़ा और विधायक आदित्य चौटाला ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा। शोक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया।

प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि पर्याप्त पेयजल देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार रोहतक में जल आपूर्ति सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने रोहतक शहर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जलाशय के निर्माण के संबंध में नगर निगम, रोहतक की 16 एकड़ भूमि है, जिसको संबंधित विभाग को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, सोनीपत सड़क पर एक पम्प खराब है, उसकी क्षमता बढ़ाने और दुरुस्त कराने का काम हो रहा है।

हरियाणा विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर प्रदेशभर में कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति, सभी जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों और नागरिक संस्थाओं का आभार व्यक्त करने के लिए एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इसके अलावा, सदन की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने 25 नवम्बर को ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में आयोजित विशाल समागम में गुरुजी को नमन किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा प्रस्तुत सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए कहा -

उन्होंने कहा कि गत 25 अगस्त को इसी सदन में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया था कि जन-जन को प्रेरित करने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को पूरे प्रदेश में गरिमा और गौरवपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा।

हरियाणा विधानसभा में कल पहली बैठक 10 बजे से 2 बजे तक दूसरी दोपहर के खाने के बाद होगी।

विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण द्वारा विधानसभा में एक बैठक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा सहमति दिए जाने के बाद यह फैसला लिया गया।

अध्यक्ष ने कहा कि अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो 22 तारीख को बैठक का समय बढ़ाया जाएगा।
